न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA 110 of 2023 (GCMS 2023-252)

1. भोलाराम पुत्र अमराराम विश्नोई
2. हडमानराम पुत्र अमराराम विश्नोई
3. रामरख पुत्र धोकलराम विश्नोई
4. रमेश पुत्र धोकलराम विश्नोई

निवासीगण ग्रांव काकेलाव सिवरों की ढाणी
तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. भेराराम पुत्र हमीरराम
2. भभूतराम पुत्र चौखाराम
3. हुक्माराम पुत्र चौखाराम
4. भंवरलाल पुत्र चौखाराम
5. मेकाराम पुत्र चौखाराम
6. भाणाराम पुत्र चौखाराम
7. ओमाराम पुत्र चौखाराम
8. सोहनलाल पुत्र चौखाराम
9. जोगी पत्नी हरसुखराम
10. चुतराराम पुत्र हरसुखराम
11. राजूराम पुत्र हरसुखराम
12. शान्ति पुत्री हरसुखराम
13. दाखू पुत्री हरसुखराम
14. धापू पुत्री हरसुखराम
15. कमली पुत्री हरसुखराम
16. नैनी पुत्री हरसुखराम
17. सहीराम पुत्र प्रहलादराम
18. गंगाराम पुत्र प्रहलादराम
19. सोहनलाल पुत्र प्रहलादराम
20. मथुरा पत्नी प्रहलादराम
21. श्रीराम पुत्र जेताराम
22. भागीरथ पुत्र जेथाराम
23. महीराम पुत्र जेताराम
24. बाबूलाल पुत्र जेथाराम
25. भंवरलाल पुत्र जेथाराम
26. लेखराम पुत्र जेथाराम

21.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

27. बाबूलाल पुत्र खिंयाराम
28. किशनाराम पुत्र खिंयाराम
29. भंवरलाल पुत्र खिंयाराम
30. सायरी पत्नी रामचन्द्र
31. श्रवण पुत्र रामचन्द्र
32. नैनी पत्नी राजू
33. रिन्कू पुत्र रामचन्द्र
34. भेराराम पुत्र सुजाराम
35. नैनाराम पुत्र सुजाराम के कायममुकामान-
    - 35.1. राणाराम पुत्र नैनाराम
    - 35.2. सुनिल पुत्र नैनाराम
    - 35.3. निरमा पुत्री नैनाराम
    - 35.4. सीता पुत्री नैनाराम
36. मोहनलाल पुत्र सुरजाराम
37. बलदेवराम पुत्र सुजाराम
38. गोविन्दराम पुत्र भाकरराम
39. पेमाराम पुत्र भाकरराम

    सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम कांकेलाव सिवरों की ढाणी, तहसील व जिला जोधपुर एवं रेस्पो. संखय 26, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 39 सभी निवासीगण ग्राम फिटकासनी, तहसील व जिला जोधपुर
40. राजस्थान सरकार

    जरिये तहसीलदार, जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर दिनांक 03 जुलाई 2023 राजस्व वाद संख्या 190/2023 भोलाराम व अन्य बनाम भेराराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री मोतीसिंह एवं श्री करणसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री शंकरसिंह जाखड, अधिवक्ता-रेस्पो./केवियेटर
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 40

नि र्ण य

दिनांक : 21 फरवरी 2024

21.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 190/2023 भोलाराम व अन्य बनाम भेराराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 03 जुलाई 2023 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 14 जुलाई 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स-वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 92ए एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 78 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 79 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 173 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा संख्या 174 रकबा 26 बीघा वाके ग्राम फिटकासनी के संबंध में प्रस्तुत किया। उक्त वाद विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03 जुलाई 2023 को मूल दावा खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत वाद का प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से विधिवत कोई जबाब दावा पेश नहीं किया गया, अपितु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर वादग्रस्त आराजियात का मौखिक बंटवारा हो जाना तथा अनेको बार विवाद होने एवं पूर्व में न्यायालय द्वारा सन् 2008 में दावा अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज होने का आधार लेते हुए दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत कर उठाये गये बिन्दु सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत कवर नहीं होना जाहिर किया गया। मगर विचारण न्यायालय द्वारा समुचित गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए मूल दावा खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आलौच्य वाद में वादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया अथवा मिथ्या वर्णित नहीं किया गया, अपितु वादकरण दिनांक 25 दिसम्बर 2022 को उत्पन्न होने का उल्लेख किया है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा वादकरण का अभाव दर्शाते हुए दावा खारिज कर दिया गया, जो विधिसम्मतः नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत हकतर्कनामा, बख्सीसनामा एवं अन्य दस्तावेजात के आधार पर मनमाने तरीक से वादीगण को अन्य हिस्सा मिल जाना मान लिया गया और दौराने बहस वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तत नजीरों को भी

21-2-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नजरअंदाज कर दिया गया, जो सही नहीं है। पूर्व में सन् 2008 में दावा अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज होने का आधार लेने में भी विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की गयी है क्योंकि उक्त वाद के संबंध में रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन चल रहा है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निस्तारण करते हुए मात्र वादपत्र में अंकित अभिकथनों के आधार पर दावा विधि द्वारा बाधित होना पाये जाने की स्थिति में ही खारिज किया जा सकता है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में मूल वाद में अंकित अभिकथनों से परे प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गम्भीर विधिक भूल की है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार का जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने न्यायालय का ध्यान 2014(1) डी.एन. जे. (राज) 621, 2013 डब्ल्यु.एल.सी.(राज) यूसी 80 एवं 2013 डी.एन.जे. (राज) 1219 की ओर आकर्षित किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 9 सीपीसी (राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 43/2010) एवं संबंधित आदेशिकाओं की नकलें प्रपत्र तीन के संलग्न पेश की और कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज नहीं हुआ अपितु अदम पालना में खारिज किया गया, जिसे रेस्टोर किये जाने हेतु विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद के वादीगण/वादीगण के कायममुकामान द्वारा सन् 2022 में उन्हीं वादग्रस्त आराजियात के संबंध में प्रस्तुत नया दावा विधि द्वारा बाधित होने से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी निस्तारित करते हुए मूल दावा खारिज करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक भूल नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 40 ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आधारों पर वादीगण-अपीलाण्ट्स का दावा खारिज किया गया है-

21-2-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

- पूर्व में सन् 2008 में प्रस्तुत दावा न्यायालय के आदेश की लम्बे समय तक पालना नहीं करने से खारिज कर दिये जाने तथा दावा खारिज हो जाने पर नियमानुसार कोई चाराजोई नहीं किया जाना माना है। किन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख एवं आलौच्य अपील स्तर पर रेस्पो. की ओर से बरवक्त बहस प्रपत्र तीन के संलग्न जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है, उनके अवलोकन से यह भलीभांति प्रकट होता है कि पूर्व में सन् 2008 में प्रस्तुत राजस्व वाद न्यायालय के आदेशों की पालना के अभाव में खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 13 अप्रेल 2014 अपास्त करने हेतु प्रार्थनापत्र संख्या 43/2010 धोकलराम बनाम भेराराम अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जो प्रस्तुत आदेशिकाओं के अनुसार दिनांक 21 जुलाई 2023 तक निस्तारित नहीं होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में कि पूर्व में सन् 2008 में प्रस्तुत दावा गुणावगुण के आधार पर अन्तिम तौर पर निस्तारित हो जाना नहीं माना जा सकता है।
- विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में विवादित आराजी के संबंध में सम्पादित विभिन्न हकतर्कनामें, बख्सीसनाम एवं राजस्व रिकार्ड में अन्य खसरान बाबत वादीगण का नाम विद्यमान होने के प्रतीत होता है कि पारिवारिक बंटवारे के तहत समस्त परिवारजनों के मध्य पुश्तैनी भूमि का विभाजन हो जाना माना है। जिससे अदालत हाजा सहमत नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त आराजियात का विधिवत बंटवारा हो चुका है अथवा नहीं, यह एक तथ्यात्मक बिन्दु है जिसके संबंध में उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद ही विनिश्चयन किया जा सकता है। 2013 डी.एन.जे. (राज) 1219 के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा धारित मतानुसार सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते समय मात्र वादपत्र में किये गये अभिकथनों पर ही गौर किया जाना अपेक्षित है और तथ्यात्मक बिन्दुओं का विनिश्चयन किया जाना विधिसम्मतः नहीं है।
- विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आलौच्य वाद में वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से स्पष्ट रूप से वादकरण उत्पत्ति का विवरण अंकित किया गया है, ऐसी स्थिति में

21-8-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2013 डब्ल्यु.एल.सी.(राज) यूसी 80 की नजीर इस प्रकरण पर लागू होती है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद एवं वर्तमान वाद में दर्शाये गये वादकरण परस्पर विरोधाभासी माना है। मगर यह बिन्दु विधि एवं तथ्यों दोनों से संबंधित होने के कारण दावे में अंकित अभिकथनों मात्र के आधार पर विनिश्चित नहीं किया जा सकता, अपितु निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप दावे एवं जबाबदावे के आधार पर अन्य तनकियात के साथ-साथ इस संबंध में कानूनी तनकी कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद सर्वप्रथम ऐसी तनकी का निस्तारण किया जाना चाहिये जैसा कि 2014(1) डी.एन.जे. (राज) 621 के मामले में प्रतिपादित किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं प्रस्तुत नजीरों के आलोक में अपील अपीलाण्ड्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03 जुलाई 2023 मय प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में सन् 2008 में प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 199/2009 (मूल संख्या 403/2008) धोकलराम बनाम भेराराम न्यायालय के आदेशों की पालना के अभाव में खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 13 अप्रेल 2014 अपास्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र संख्या 43/2010 धोकलराम बनाम भेराराम अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी की वर्तमान स्थिति एवं धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मूल वाद में विधिसम्मतः कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर